सं०-01/दि०स०नि०-संस्था(चमन)-04/2024 स.क.

बिहार सरकार

दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय

(समाज कल्याण विभाग)

दिवाकालीन विशेष विद्यालय "चमन" के संचालन हेतु प्रस्तावों का आमंत्रण

दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय (समाज कल्याण विभाग) द्वारा 5-18 आयु वर्ग के मानसिक दिव्यांग बच्चों के लिए दिवाकालीन विशेष विद्यालय "चमन" का संचालन, पटना जिले में स्वयंसेवी संस्थानों के माध्यम से किया जाना है। इस निमित विभाग निम्न कंडिकाओं के अनुरूप स्वयंसेवी संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित करती है:-

(i) **स्वयंसेवी संस्थाओं हेतु न्यूनतम अहताएँ :-**

(1) **संस्था का अस्तित्व:-** संस्था सोसाईटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के तहत निबंधित होना चाहिए।

(2) **संस्था का अन्य पंजीकरण:-** संस्था दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा-51 के तहत राज्य आयुक्त नि:शक्ता कार्यालय / नि:शक्त व्यक्ति, 1995 की धारा-52 या दिव्यांगता कार्यालय से निबंधित होना चाहिए।

(3) **अन्य निबंधन:-** संस्था भारत सरकार के नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर अनिवार्य रूप से निबंधित होना चाहिए।

(4) **संस्था के MOA:-** संस्था के MOA (Memorandum of Association) की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न कर भेजना होगा।

(5) **अंकेक्षण प्रतिवेदन:-** संस्था का प्रति वित्तीय औसत टर्नओवर न्यूनतम रू० 40 लाख हो तथा पिछले तीन वित्तीय वर्षो यथा वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 का CA द्वारा किये गये अंकेक्षण प्रतिवेदन को संलग्न करना होगा।

(6) **आयकर रिटर्न्स:-** संस्था आयकर अधिनियम के तहत निबंधित है या नहीं ? संस्था को विगत तीन वित्तीय वर्षो यथा वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के आयकर रिटर्न की प्रति संलग्न करनी होगी ।

(7) संस्था क्या पूर्व से भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा अनुदानित है? (वित्तीय वर्षवार उल्लेख करें)

(8) **वार्षिक प्रतिवेदन:-** संस्था को पिछले तीन वित्तीय वर्षो यथा वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 का वार्षिक प्रतिवेदन संलग्न करना होगा।

(9) **पैन कार्ड:-** पैन कार्ड, जो संस्था के नाम से हो, संलग्न करना होगा ।

(10) **दिव्यांग प्रक्षेत्र विशेषकर मानसिक दिव्यांग प्रक्षेत्र:-** आवेदक संस्था के पास अनिवार्य रूप से 02 वर्षो या उससे अधिक का मानसिक दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष विद्यालय के संचालन का अनुभव हो । संस्था को अनुभव संबंधित प्रमाण-पत्र (दिवाकालीन विशेष विद्यालय का संचालन अवधि एवं वर्षवार लाभुकों की संख्या अंकित हो) संलग्न करने के साथ-साथ संस्था का अक्षांक्षीय एवं देशांतरीय विवरणी संलग्न करना आवश्यक होगा।

(11) संस्था के पास आधारभूत संरचना के रूप में मकान (अपना अथवा किराये का) उपलब्ध हो । अपना भवन/मकान होने की स्थिति में प्राथमिकता दी जा सकती है। मकान दिव्यांगों हेतु बाधामुक्त (Barrier Free) होना चाहिए एवं न्यूनतम 3000 वर्गफीट क्षेत्रफल में फैला होना चाहिए। किराये के मकान की स्थिति में मकान का एकरारनामा / किरायानामा की प्रति आवेदन के साथ संलग्न कर भेजा जाना होगा।

(12) संस्था के पास प्रशिक्षित कर्मी विशेष तौर पर विशेष प्रशिक्षक, शिक्षण सहायक, समन्वयक आदि उपलब्ध हों तथा वे भारतीय पुनर्वास परिषद् (Rehabilitation Council of India) के मापदडों के अनुरूप प्रशिक्षित हो तथा भारतीय पुनर्वास परिषद् (RCI) से निबंधित होने चाहिए।

(13) वर्तमान मार्गदर्शिका एवं शिक्षक / कर्मियों के संबंध में वर्तमान में दिये गये निर्देशों में यदि भविष्य में संशोधन किये जाते है, तब चयनित संस्थान को उक्त के आलोक में कार्रवाई / सेवा प्रदान करनी होगी ।

(14) **शपथ पत्र:-** संस्था को न्यायालय / सरकार द्वारा बेदखल / ब्लैकलिस्टेड नहीं किया गया है, इस आशय का शपथ पत्र (मूलप्रति में) देना होगा । शपथ पत्र विज्ञापन प्रकाशन के बाद की तिथि का होना चाहिए ।

नोट:- उपरोक्त कंडिका 1 से 12 में उल्लेखित दस्तावेजों को संलग्न करना अनिवार्य है । सभी संलग्न दस्तावेज स्वअभिप्रमाणित होने चाहिए ।

(15) **आवेदन की प्राप्ति:-** आवेदक संस्थाओं के आवेदन सीलबंद लिफाफे में सिर्फ स्पीड पोस्ट / निबंधित डाक से ही स्वीकार्य होंगे । किसी अन्य माध्यम से भेजे गये आवेदन तथा निर्धारित समय सीमा के पश्चात प्राप्त हुए आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा । विज्ञापन प्रकाशन के 21 दिनों के अन्दर वांछित अर्हता के साथ पूर्ण प्रस्ताव (पृष्ठ विवरणी एवं अभिलेख सहित) समर्पित करना होगा । अपूर्ण / अधूरे प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा तथा प्रथम दृष्टव्या में ही रद्द समझा जायेगा ।

(16) **आवेदन के दस्तावेजों का प्रमाणीकरण:-** आवेदन के साथ समर्पित किये जाने वाले सभी वांछित दस्तावेज, स्वच्छ एवं स्पष्ट मुद्रित होने चाहिए तथा यह संस्था के सचिव या अध्यक्ष द्वारा मुहर सहित स्वहस्ताक्षरित होगा ।

(17) दस्तावेजों से संबंधित संलग्न चेकलिस्ट पूर्ण (Fill up) किया जाय। सभी दस्तावेजों को अनुक्रमवार रखने तथा स्थायी पताकाकृत (Indexing & Flagging) भी करना अनिवार्य होगा।

(18) विज्ञापन रद्द करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा । विभागीय चयन समिति के माध्यम से उपर्युक्त संस्था का चयन किया जायेगा । समर्पित प्रस्ताव के सभी पृष्ठ स्वअभिप्रमाणित हो । जॉच के दौरान सत्यापन हेतु मूलप्रति को प्रस्तुत करना होगा ।

पता:- निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, द्वितीय तल, पंत भवन, बेली रोड, पटना- 800001 ।

(ii) <u>शिक्षकों / कर्मियों की योग्यता:-</u>

क्र०	पद का नाम	पदों की संख्या	वांछित न्यूनतम योग्यता
1	2	3	4
1	समन्वयक (Co-ordinator)	01	(i) बैचलर इन मेंटल रिटारडेशन (BMR) (ii) मानसिक मंदता में रेगुलर बी०एड० तथा न्यूनतम छः वर्षों का कार्य अनुभव एवम् MDPS (Madras Developmental Programme Schedule की जानकारी अनिवार्य। स्नातकोत्तर (एम०एड०, एम०आर०) की डिग्री वाले को प्राथमिकता दी जायगी । (iii) कर्मियों की वांछित योग्यता संबंधित प्रमाण-पत्र एवं उनके RCI से निबंधित होने का प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

2	विशेष प्रशिक्षक (Special Educators)	08	(i) B.Ed (MR) या DRT विशेष प्रशिक्षण में डिप्लोमा या डिग्री एवं 2 वर्षों का पुनर्वास कार्यों में कार्यानुभव, MDPS की जानकारी अनिवार्य। मानसिक मंदता में बी०एड० के डिग्री धारक को प्राथमिकता दी जायगी । (ii) कर्मियों की वांछित योग्यता संबंधित प्रमाण-पत्र एवं उनके RCI से निबंधित होने का प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3	शिक्षण सहायक (Teaching Assistant)	10	(i) न्यूनतम इंटरमीडियट एवं एक वर्षीय व्यावसायिक पुनर्वास प्रशिक्षण (DVT) एवम् MDPS में जानकारी अनिवार्य । (ii) कर्मियों की वांछित योग्यता संबंधित प्रमाण-पत्र एवं उनके RCI से निबंधित होने का प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4	कम्प्यूटर अनुदेशक (Computer Instructor)	02	(i) न्यूनतम इंटरमीडियट, सी०ए०डी० कम्प्यूटर ट्रंसमिटिंग डिभाइस) स्क्रीन रिडिंग सॉफ्टवेयर का अनुभव।
5	आया	02	मैट्रिक उत्तीर्ण एवं केयर-गिवर का छः माह का प्रशिक्षण
6	अनुसेवक	01	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण एवं साईकिल चलाने का ज्ञान ।

<u>अंशकालिक कर्मी:-</u>

क्र०	पद का नाम	पदों की संख्या	वांछित न्यूनतम योग्यता
1	2	3	4
1	स्पीच थेरापिस्ट	01	ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी (BASLP) में स्नातक।
2	पुनर्वास मनोवैज्ञानिक (Rehabilitation Psychologist)	01	पुनर्वास मनोविज्ञान में M.A / M.Phil की डिग्री।

<u>कार्यालय हेतु कर्मी :-</u>

क्र०	पद का नाम	पदों की संख्या	वांछित न्यूनतम योग्यता
1	2	3	4
1	सहायक	02	स्नातक की डिग्री एवं कम्प्यूटर का ज्ञान ।
2	लेखापाल	01	बी० कॉम की डिग्री तथा प्रख्यात संस्थान में 2 वर्षों का कार्य अनुभव ।
3	सुरक्षा प्रहरी	03	सेवा प्रदाता एजेन्सियों (आउटसोर्सिंग) के माध्यम से चयन। सेवानिवृत्ति सेवा कर्मी को प्राथमिकता दी जायगी ।

स्वयंसेवी संस्थाओं को समाज कल्याण विभाग के वेबसाईट **https://state.bihar.gov.in/socialwelfare/CitizenHome.html** पर उपलब्ध मार्गदर्शिका के आलोक में मापदण्डों एवं योग्यता के आधार पर कर्मियों की सेवा विद्यालय हेतु उपलब्ध करानी होगी।

विद्यालय का संचालन विभाग द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका एवं समय-समय पर विभाग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में किया जायेगा ।

3/1/25

निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय,
बिहार, पटना ।

स्वंय सेवी संस्थाओं के चयन हेतु Weightage अंक का निर्धारण

क्र०	मानदंड	निर्धारित दस्तावेज	अंक
1	संस्था सोसाईटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 / भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 / दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा-51 के तहत राज्य आयुक्त नि:शक्तता कार्यालय / नि:शक्त व्यक्ति, 1995 की धारा-52 या दिव्यांगता कार्यालय / भारत सरकार के नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर अनिवार्य रूप से निबंधित होना चाहिए।	निबंधन प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति	-
	संस्था की निबंधन अवधि 5-7 वर्ष होने पर	-	5
	संस्था की निबंधन अवधि 7-10 वर्ष होने पर	-	7
	संस्था की निबंधन अवधि 10 वर्ष से अधिक होने पर	-	10
2	संस्था का विगत तीन वित्तीय वर्षों का औसत कारोबार न्यूनतम 40 लाख का हो	वार्षिक प्रतिवेदन / आयकर रिटर्न्स / अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति	-
	संस्था का औसत कारोबार 40-50 लाख का होने पर	-	2
	संस्था का औसत कारोबार 50-60 लाख का होने पर	-	4
	संस्था का औसत कारोबार 60-70 लाख का होने पर	-	6
	संस्था का औसत कारोबार 70-80 लाख का होने पर	-	8
	संस्था का औसत कारोबार 80+ का होने पर	-	10
3	संस्था का दिव्यांगता प्रक्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष का कार्यानुभव हो	अनुभव संबंधित प्रमाण-पत्र की प्रति	-
	दिव्यांगता प्रक्षेत्र में कार्यानुभव 5-7 वर्ष होने पर	-	5
	दिव्यांगता प्रक्षेत्र में कार्यानुभव 7-10 वर्ष होने पर	-	7
	दिव्यांगता प्रक्षेत्र में कार्यानुभव 10 वर्ष से अधिक होने पर	-	10
4	संस्था का मानसिक दिव्यांगता के क्षेत्र में न्यूनतम 2 वर्ष का कार्यानुभव हो	अनुभव संबंधित प्रमाण-पत्र की प्रति	-
	मानसिक दिव्यांगता के क्षेत्र में 2-5 वर्ष का कार्यानुभव होने पर	-	5
	मानसिक दिव्यांगता के क्षेत्र में 5-10 वर्ष का कार्यानुभव होने पर	-	8
	मानसिक दिव्यांगता के क्षेत्र में 10 वर्ष से अधिक का कार्यानुभव होने पर	-	10

क्र०	मानदंड	निर्धारित दस्तावेज	अंक
5	संस्था के पास कुल 11 प्रकार के कार्यो हेतु कुल-32 प्रशिक्षित कर्मी उपलब्ध हो जिनमें न्यूनतम 5 कर्मियों का RCI से निबंधित होना अनिवार्य है।	शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मियों के शैक्षणिक योग्यता / RCI से निबंधन प्रमाण-पत्र आदि की प्रति	-
	06-10 कर्मी RCI से निबंधित होने पर	-	3
	11-15 कर्मी RCI से निबंधित होने पर	-	5
	16 या उससे अधिक कर्मी RCI से निबंधित होने पर	-	10
6	संस्था के पास अपना मकान होने पर	मकान का अक्षांक्षीय एवं देशांतरीय विवरणी	3
7	संस्था के राष्ट्रीय न्यास (National Trust) से निबंधित होने पर	निबंधन प्रमाण-पत्र	2
		अधिकतम (कुल अंक) :-	**55**

LIST OF ENCLOSURES AND CHECK LIST

Encl No.	Document	Enclosed Y/N	Page No/ Flagging
1	संस्था सोसाईटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 का प्रमाण-पत्र		
2	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा-51 के तहत राज्य आयुक्त नि:शक्ता कार्यालय / नि:शक्त व्यक्ति, 1995 की धारा-52 या दिव्यांगता कार्यालय / राष्ट्रीय न्यास (National Trust) का निबंधन का प्रमाण-पत्र		
3	भारत सरकार के नीति आयोग के दर्पण पोर्टल का निबंधन प्रमाण-पत्र		
4	विगत तीन वित्तीय वर्षों में औसत कारोबार का प्रतिवेदन		
5	आयकर अधिनियम के तहत निबंधन का प्रमाण पत्र		
6	विगत तीन वित्तीय वर्षों का आयकर रिटर्न की प्रति		
7	संस्था के नाम से उपलब्ध पैन कार्ड की प्रति		
8	संस्था का दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यानुभव का प्रमाण		
9	संस्था के मानसिक दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यानुभव का प्रमाण		
10	संस्था के पास उपलब्ध मकान का प्रमाण / किरायानामा / एकरारनामा		
11	नोटरी द्वारा शपथ पत्र (1000/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर)		